रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 23, 1982 (कार्तिक 1, 1904)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1982 (KARTIKA 1, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	707
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	1443
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1369
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . .	
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .	
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . . .	14671
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस .	593
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	215
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	2561
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . . .	239
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . .	

* *पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	707
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1443
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	13469
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	14671
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	593
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	215
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2561
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	*
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 1982

सं० यू०-13019/10/81-ए० एन० एल०:—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 30 जून, 1982 की अधिसूचना सं० यू०-13019/10/81-ए० एन० एल० (III) का आंशिक संशोधन करते हुए, क्रम सं० 2 पर आये "श्री एबरडीन ब्लेयर (निकोबार ग्रुप)" शब्दों के स्थान पर "श्री इब्राहिम अली हुसैन (निकोबार ग्रुप)" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

उमा पिल्ले,
उप सचिव,

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर, 1982

संकल्प

सं० ई० 11011/10/81-रा० भा०:—वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के तारीख 20 फरवरी, 1978 के यथा संशोधित संकल्प फा० सं० ई० 11011/3/77 समन्वय को अधिक्रान्त करते हुए, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया है:—

1. वित्त मंत्री	अध्यक्ष
2. वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. वित्त मंत्रालय में उप मंत्री	उपाध्यक्ष
4. श्री राम गोपाल रेड्डी, सदस्य, लोक सभा।	सदस्य
5. श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, लोक सभा।	सदस्य
6. श्री बी० इब्राहिम, सदस्य, राज्य सभा।	सदस्य
7. श्री आर० के० हेगड़े, सदस्य, राज्य सभा।	सदस्य
8. श्री रमाशंकर नागर, प्रोफेसर, डी० एम० कालेज, मणिपुर विश्वविद्यालय, क्वा० नं० 3/ए०, इम्फाल-795001	सदस्य
9. डा० जे० एल० शर्मा, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, विद्या निकेतन, बिरला पब्लिक स्कूल, पिलानी-333031	सदस्य
10. श्री मनोहर श्याम जोशी, सम्पादक, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 18/20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
11. श्री उपेन्द्र पन्त, रीडर, हिन्दी विभाग, 3/बी-4, अध्यापक होस्टल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।	सदस्य
12. श्री बालशौरि रेड्डी, सम्पादक, चन्दामामा मद्रास-600026	सदस्य
13. श्रीमती प्रसन्न दीक्षित, लेखक, तथा पत्रकार, डी-25/सी, साउथ एक्सटेन्शन पार्ट II, नई दिल्ली-110049	सदस्य
14. श्री एस० पी० मुखर्जी, प्रधान केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023	सदस्य
15. हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग।	सदस्य
16. गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।	सदस्य
17. सचिव (राजस्व)	सदस्य
18. सचिव (आर्थिक कार्य विभाग)	सदस्य
19. सचिव (व्यय विभाग)	सदस्य
20. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड।	सदस्य
21. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।	सदस्य
22. भारत का उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक	सदस्य

23.	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम ।	सदस्य
24.	अध्यक्ष, भारतीय साधारण बीमा निगम ।	सदस्य
25.	महानिदेशक, सरकारी उद्यम कार्यालय ।	सदस्य
26.	अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग पक्ष)	सदस्य
27.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ।	
28.	अपर सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग ।	सदस्य-सचिव

II. **कार्य**

समिति, सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित मामलों में मंत्रालय को सलाह देगी ।

III. **कार्यकाल**

समिति का कार्यकाल, उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा, परन्तु—

(i) समिति में नामजद संसद सदस्य जब संसद सदस्य नहीं रहेंगे, तब वे इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे; और

(ii) समिति के कार्यकाल के दौरान रिक्त हुए स्थानों पर नियुक्त सदस्य केवल तीन वर्ष की शेष अवधि के लिये ही सदस्य होंगे ।

विविध

(1) समिति, आवश्कतानुसार, अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उप समितियां नियुक्त कर सकेगी;

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एम० वी० एस० राव,
अपर सचिव,

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 1982

संकल्प

सं० ई०-11015(2)/82-हिन्दी (.) :—यह फैसला किया गया है कि इस्पात और खान मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1981 के संकल्प संख्या ई०-11015(2)/80-हिन्दी द्वारा गठित इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में श्री कृष्ण माधव चौधरी, एडवोकेट, जिला सरकारी वकील (पूर्व), नया शहर, इटावा (उ० प्र०) भी सदस्य होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसद-कार्य विभाग, लोक-सभा सचिवालय राज्य-सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

निर्मला बुच, संयुक्त सचिव

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1982

सं० ई-11011/23/80-हिन्दी—नागरिक पूर्ति मंत्रालय के 3 अगस्त, 1981, 4 नवम्बर, 1981, 8 अप्रैल, 1982 और 28-8-1982 के समसंख्यक संकल्पों के क्रम में भारत सरकार 3-8-81 के संकल्प में निम्नलिखित परिवर्तन करती है :—

1. राज्य मंत्री, नागर विमानन एवं नागरिक पूर्ति—अध्यक्ष

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

टी० आर० परमेश्वरन
संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1982

संकल्प

सं० 24-3/81-सी०ए० 2—भारत सरकार ने संकल्प संख्या 19-9/76-सी० ए०-2 दिनांक 19 अक्तूबर, 1977 के द्वारा गठित भारतीय पटसन विकास परिषद् को तत्काल से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद् का गठन निम्न प्रकार होगा:—

1. अध्यक्ष — एक गैर-सरकारी सदस्य जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।

2. उपाध्यक्ष — कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

3. क. सदस्य संसद सदस्य — तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से) जिन्हें संसदीय कार्य विभाग नामजद करेगा।

ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि — निम्न प्रत्येक राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार नामजद करेगी:—

(1) आन्ध्र प्रदेश
(2) असम
(3) बिहार
(4) मेघालय
(5) उड़ीसा
(6) त्रिपुरा
(7) उत्तर प्रदेश
(8) पश्चिम बंगाल

ग. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

(क) योजना आयोग, नई दिल्ली का एक सदस्य।

(ख) विस्तार आयुक्त, कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग नई दिल्ली या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति।

(ग) पटसन आयुक्त वाणिज्य मंत्रालय, कलकत्ता।

(घ) निदेशक, पटसन कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल।

(ङ) निदेशक, पटसन प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, टी-12, रीजेन्ट पार्क, कलकत्ता।

(च) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति

(छ) प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पटसन निगम, कलकत्ता।

(ज) संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फसलें) कृषि तथा सहकारिता विभाग।

(झ) नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि

(क) निम्न पटसन उत्पादक राज्यों में प्रत्येक से पटसन उत्पादकों का एक प्रतिनिधि, जिसे संबंधित राज्य सरकार नामजद करेगी :—

(1) आन्ध्र प्रदेश
(2) असम
(3) बिहार
(4) मेघालय
(5) उड़ीसा
(6) उत्तर प्रदेश
(7) त्रिपुरा
(8) पश्चिम बंगाल

(ख) पटसन उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।

ङ. उद्योग का प्रतिनिधि — भारतीय पटसन मिल संघ, कलकत्ता, का एक प्रतिनिधि,

च. व्यापार का प्रतिनिधि — जूट बेलरस एसोसिएशन, कलकत्ता का एक प्रतिनिधि।

छ. कर्मचारियों का प्रतिनिधि — (1) फार्म में लगे कर्मचारी—एक
(2) फैक्ट्री में लगे कर्मचारी—एक

ज. समय समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले अन्य व्यक्ति।

4. सदस्य सचिव — निदेशक,
पटसन विकास निदेशालय,
कलकत्ता,।

5. प्रेक्षक— (ये व्यक्ति परिषद् के सदस्य नहीं होंगे परन्तु उन्हें परिषद् के विचार-विमर्श में सहायता के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाएगा।)

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम या उसका प्रतिनिधि।
2. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।
3. अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि।

4. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि ।

5. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नापेड़), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

6. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज भवन, नई दिल्ली ।

7. वनस्पति रक्षण, सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता, विभाग, फरीदाबाद ।

8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

9. अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग या उनका प्रतिनिधि ।

2. परिषद् सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा उसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) पटसन, मेस्ता तथा अन्य रेशे वाली फसलों (कपास को छोड़कर) के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम पर विचार करना । समय-समय पर उनकी प्रगति की संवीक्षा करना तथा पटसन और मेस्ता का उत्पादन बढ़ाने के उपाय सुझाना ;

(ख) पटसन के उत्पादन और विपणन और पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से सम्बंध समस्याओं पर विचार करना तथा इन मामलों पर सरकार को सलाह देना ;

(ग) देशी तथा निर्यात मंडियों में पटसन की विभिन्न किस्मों की मांग के सम्बन्ध में विचार करना तथा तदनुसार पटसन उत्पादन के कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन हेतु सुझाव देना ;

(घ) पटसन और मेस्ता के बारे में छोटे तथा सीमान्त किसानों की विशेष जरूरतों पर विचार करना और उनकी पूर्ति के लिए उचित उपायों का सुझाव देन ;

(ङ) पटसन और मेस्ता से सम्बद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना और पटसन तथा मेस्ता की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्कता के बारे में सलाह देना; और

(च) सरकार को ऐसे अन्य सम्बद्ध विषयों पर सलाह देना, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं।

3. परिषद् को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थाई समितियां, तकनीकी समितियां और तदर्थ समितियां नियुक्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष उद्देश्यों हेतु कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष रुचि रखने वालों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी ।

4. परिषद् पटसन उगाए जाने वाले क्षेत्रों तथा पटसन के व्यापार एवं उद्योग से सम्बद्ध महत्वपूर्ण केन्द्रों में समय-समय पर बैठकें करेंगी तथा भारत सरकार को सुझाव देगी ।

5. परिषद् उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि भारत सरकार के संकल्प द्वारा उसे समाप्त न कर दिया जाए । परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् के लिए मनोनीत होने की तारीख से 3 वर्ष तक होगा, बशर्ते कि भारत सरकार अपने विशेष आदेश द्वारा उसे घटा या बढ़ा न दे ।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए जाने वाले सदस्यों की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर समाप्त हो जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

के० सी० एस० आचार्य,
अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1982

सं० 18-7/82-एल० डी०-I—राष्ट्रपति, भारतीय डेरी निगम के संगम की नियमावली के अनुच्छेद 15(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय डेरी निगम के निदेशक मण्डल का तत्काल से तथा आगामी आदेशों तक पुनर्गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. डा० वी० कुरियन, अध्यक्ष
अध्यक्ष,
भारतीय डेरी निगम,
बड़ौदा ।

2. श्री जी० एच० शाला, सदस्य
प्रबंध निदेशक,
भारतीय डेरी निगम

3. श्री वी० एच० शाहु, सदस्य
प्रबंध निदेशक,
कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक
संघ लिमिटेड, आनन्द ।

4. श्री पी० एस० कोहली, सदस्य
अवर सचिव
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली ।

5. श्री एम० वाई० प्रिओलकर, सदस्य
वित्तीय सलाहकार,
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली ।

6. डा० ओ० एन० सिंह, सदस्य
पशु-पालन आयुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली ।

7. श्री के० एन० अर्द्धनारीश्वरन, सदस्य
संयुक्त सचिव (सी एंड डी डी),
कृषि और सहकारिता विभाग ।

8. डा० आर० पी० अनेजा, सदस्य
सचिव,
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड,
आनन्द ।

सं० 18-7/82-एल० डी०-I—भारतीय डेरी निगम के संगम की नियमावली के नियम 15(2) के साथ पठित नियम 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, डा० वी० कुरियन को तत्काल से तथा आगामी आदेशों तक भारतीय डेरी निगम का निदेशक तथा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं ।

सं० 18-7/82-एल० डी०-I—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की नियमावली के नियम 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार डा० वी० कुरियन को तत्काल से तथा आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करती है ।

के० एम० अर्द्धनारीश्वरन,
संयुक्त सचिव

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 सितम्बर 1982

सं० एफ० 6-13/82-डी० ओ० एन० आई०—भारत सरकार ने अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवणबाधितार्थ संस्थान को 26 अगस्त, 1982 से संस्थाओं के पंजीयक के कार्यालय, दिल्ली में पंजीकरण संख्या एस०/12840 द्वारा संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां अधिनियम) के अधीन संस्था के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया है ।

तेज प्रकाश, उप सचिव

श्रम मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1982

सं० डी० जी० ई० टी०-3(1)/81-ईई-I(ईई-III)—केन्द्रीय रोजगार समिति पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति संगठनों के प्रतिनिधियों (विभिन्न संगठनों में प्रति वर्ष बारी-बारी से शामिल करना) के बारे में, भारत सरकार श्रम मंत्रालय, की अधिसूचना सं० डीजीईटी-3(1)/81 ईई-I दिनांक 28 अगस्त, 1981 द्वारा यथा-संशोधित अधिसूचना सं० डीजीईटी-3(1)/81-ईई-I दिनांक 4 जुलाई, 1981 के क्रमांक 70 और 71 के सामने वर्तमान प्रविष्टियां निम्न प्रकार प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

क्रमांक 70—श्री एन० एम० वाडिया,
अधिवक्ता,
छिन्दवाड़ा
(मध्य प्रदेश)

क्रमांक 71—श्री मोहन नायक,
प्रबन्धक,
ठक्कर बापा आश्रम,
पी० ओ० नीमाखण्डी
जिला गंजम (उड़ीसा) पिन-761001

पी० आर० रामाकृष्णन,
उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th September 1982

No. U.13019/10/81-ANL.—In partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. U.13019/10/81-ANL(III) dated the 30th June, 1982, the words "Shri Aberdeen Blair (Nicobar Group), occurring at Sl. No. 2 shall be substituted by the words "Shri Ebrahim Ali Hussain (Nicobar Group)".

UMA PILLAI, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 27th September 1982

RESOLUTION

No. E.11011/10/81-O.L.—In supersession of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Resolution No. E.11011/3/77-Coord, dated 20th February, 1978, as amended, the Government of India have re-constituted the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Finance, as follows :—

1. Finance Minister. Chairman

CHAIRMAN

1. Finance Minister.

VICE-CHAIRMEN

2. Minister of State in the Ministry of Finance.

3. Dy. Minister in the Ministry of Finance.

MEMBERS

4. Shri Ram Gopal Reddy
Member, Lok Sabha.

5. Shri Mahabir Prasad,
Member, Lok Sabha.

6. Shri B. Ibrahim,
Member, Rajya Sabha.

7. Shri R. K. Hegde,
Member, Rajya Sabha.

8. Dr. Rama Shankar Nagar,
Prof., D.M. College,
Q. No. 3/A, Imphal-795001.

9. Dr. J. L. Sharma,
Head, Deptt. of Sanskrit,
Vidya Niketan,
Birla Public School, Pilani-333031.

10. Shri Manohar Shyam Joshi,
Editor, Saptahik Hindustan,
18/20, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.

11. Shri Upendra Pant
Reader, Department of Hindi,
3/B-4, Teacher's Hostel,
Vikram University, Ujjain.

12. Shri Balashowri Reddy,
Editor Chandamma,
Madras-600026.

13. Smt. Prasanna Dixit,
Writer & Journalist,
D-25/C, South Extension Part-II,
New Delhi-110049.

14. Shri S. P. Mukherjee,
Pradhan,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
XY-68, Sarojini Nagar,
New Delhi-110023.

15. Hindi Advisor and Secretary,
Department of Official Language.

16. Governor,
Reserve Bank of India.

17. Secretary (Revenue).

18. Secretary (Economic Affairs).

19. Secretary (Expenditure).

20. Chairman,
Central Board of Direct Taxes.

21 Chairman,
Central Board of Excise and Customs.

22. Deputy Comptroller & Auditor
General of India.

23. Chairman,
Life Insurance Corporation of India.

24. Chairman,
General Insurance Corporation of India.

25. Director General,
Bureau of Public Enterprises.

26. Additional Secretary,
Department of Economic Affairs (Banking Wing).

27. Joint Secretary,
Department of Official Language.

MEMBER-SECRETARY

28. Additional Secretary (Administration)
Department of Revenue.

II. *Functions*

The Samiti shall advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

III. *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that—

(i) a Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament; and

(ii) Members appointed against mid-term vacancies shall be for the remaining period of the three years only.

IV. *General*

(i) The Committee may co-opt additional Members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees as may be deemed necessary.

(ii) The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to :

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor-General of India, Director of Audit, Central Revenues, all Members of the Samiti and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. V. N. RAO, Addl. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 30th September 1982

RESOLUTION

No. E.11015/2/82-Hindi(.).—It has been decided to include Shri Krishan Madhav Chaudhary, Advocate District Public Prosecutor (Est); Naya Shahar, Etawa (U.P.) as member of the Ministry of Steel and Mines Hindi Salahkar Samiti constituted vide this Department's Resolution No. E.11015/(2)/80-Hindi, dated the 9th April, 1981.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, Presidents Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gezette of India for general information.

NIRMALA BUCH, Jt. Secy.

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 29th September 1982

No. E.11011/23/80-Hindi.—In continuation of Ministry of Civil Supplies Resolutions of even number dated the 3rd August, 1981, the 4th November, 1981, (8th April, 1982.

and 28th August, 1982, the Government of India makes the following alteration in the Resolution of dated 3-8-1981 :—

1. Minister of State for Civil Aviation and Civil Supplies. — Chairman

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Prime Minister's Sectt., Cabinet Sectt., Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, President's Sectt., Comptroller & Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works & Misc. and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. R. PARMESWARAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)
KRISHI BHAVAN
New Delhi, the 27th September 1982

RESOLUTION

No. 24-3/81-C.A.II.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Jute Development Council constituted vide Resolution No. 19-2/76-C.A.II dated the 19th October, 1977 with immediate effect. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. CHAIRMAN

A Non-official to be nominated by the Government of India.

II. VICE-CHAIRMAN

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

III. MEMBERS

A. *Members of Parliament*

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

B. *Representatives of State Governments*

One representatives of each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments.

(i) Andhra Pradesh.
(ii) Assam.
(iii) Bihar.
(iv) Meghalaya.
(v) Orissa.
(vi) Tripura.
(vii) Uttar Pradesh.
(viii) West Bengal.

C. *Representatives of Central Government*

(a) One representative of the Planning Commission, New Delhi.
(b) Extension Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi or his nominee.
(c) Jute Commissioner, Ministry of Commerce, Calcutta.
(d) Director, Jute Agricultural Research Institute, Barrackpure, West Bengal.
(e) Director, Jute Technological Research Laboratory, T-12 Regent Park, Calcutta.
(f) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.
(g) Managing Director, Jute Corporation of India, Calcutta.
(h) Joint Commissioner (Commercial Crops), Department of Agriculture and Cooperation.
(i) One representative of the Ministry of Civil Supplies.

D. *Representatives of Growers*

(a) One representative of Jute Growers to be nominated by the respective State Governments from each of the following Jute Growing States :—
(1) Andhra Pradesh.
(2) Assam.
(3) Bihar.
(4) Meghalaya.
(5) Orissa.
(6) Uttar Pradesh.
(7) Tripura.
(8) West Bengal.
(b) One representative of Jute Growers to be nominated by the Government of India.

E. *Representative of Industry*

One representative of Indian Jute Mills' Association, Calcutta.

F. *Representative of Trade*

One representative of the Jute Balers' Association, Calcutta.

G. *Representative or Workers*

(1) Workers engaged in Farms —One
(2) Workers engaged in Factory —One

H. *Such Additional persons may from time to time be nominated by the Government of India.*

IV. MEMBER SECRETARY

The Director, Directorate of Jute Development, Calcutta.

V. OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberation).

(1) Chairman, State Trading Corporation or his representative.
(2) Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation.
(3) Economic and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, New Delhi or his representative.
(4) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Rural Development or his representative.
(5) A representative of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED), New Delhi.
(6) The Managing Director, National Seeds Corporation Ltd., Beej Bhavan, New Delhi.
(7) Plant Protection Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Faridabad.
(8) A representative of the National Cooperative Development Corporation, (NCDC), New Delhi.
(9) Chairman, Agricultural Prices Commission or his representative.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(a) To consider development programme in the Central and State Sectors in respect of Jute, Mesta and other fibre crops (excluding cotton), review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of jute and Mesta;
(b) To consider problems relative to the production and marketing of Jute and remunerative prices to Jute Growers and advise Government on these matters;

(c) To consider demands for different varieties of Jute in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in Jute production programmes accordingly;

(d) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of Jute and Mesta production and suggest suitable measures for meeting the same;

(e) To facilitate coordination between research and development programmes relating to Jute and Mesta and advise about the needs for improvement in the quality and productivity of Jute and Mesta; and

(f) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

.. The Council will have the powers to set-up Standing Committees, Technical Committees and Ad-hoc Committees to look into specific issues and to co-opt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which Jute is grown and at importance centres of trade and industry connected with Jute and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. These members of the Council who are nominated from Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Administrations of Union Territories all Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resoluton be published in the Gazette of India for general information.

K. C. S. ACHARYA, Addl. Secy.

(DEPTT. OF AGRI. & CO-OP.)

New Delhi, the 22nd September 1982

No. 18-7/82-LD.I.—In exercise of powers conferred by Article 15(2) of the Articles of Association of Indian Dairy Corporation, the President is pleased to reconstitute the Board of Directors of the Indian Dairy Corporation with immediate effect and until further orders as follows :—

1. Dr. V. Kurien, Chairman, Indian Dairy Corporation, Baroda.	..	*Chairman*
2. Shri G. M. Jhala, Managing Director, Indian Dairy Corporation.	..	Member
3. Shri V .H. Shah, Managing Director, Kaira Distt. Coop. Milk Producers' Union Ltd., Anand.	..	Member
4. Shri P. S. Kohli, Additional Secretary, Deptt. of Agri. & Coopn., New Delhi.	..	Member
5. Shri M. Y. Priolkar, Financial Adviser, Deptt. of Agri. & Coopn., New Delhi.	..	Member
6. Dr. O. N. Singh, Animal Husbandry Commissioner, Deptt. of Agri. & Coopn., New Delhi.	..	Member
7. Shri K. N. Ardhanareeswaran, Joint Secretary (C&DD), Deptt. of Agriculture & Coopn., New Delhi.	..	Member
8. Dr. R. P. Aneja, Secretary, National Dairy Development Board, Anand.	..	Member

No. 18-7/82-LD.I.—In exercise of the powers conferred by Article 20 read with Article 15(2) of the Articles of Association of the Indian Dairy Corporation, the President is pleased to appoint Dr. V. Kurien with immediate effect and until further orders as a Director and Chairman of the Indian Dairy Corporation.

No. 18-7/82-LD.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 2(a) of the Rules and Regulations of the National Dairy Development Board, the Government of India is pleased to nominate Dr. V. Kurien with immediate effect and until further orders as Chairman of Naitonal Dairy Development Board.

K. N. ARDHANAREESWARAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 13th September 1982

No. F. 6-13/82-DO-NI.—Government of India have set up Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped as an autonomous body having being registered as a Society under Societies Registration Act (Act XXI, 1860) with effect from 26th August 1982 vide Registration No. S/12840 with Registrar of Societies, Delhi.

TEJ PRAKASH, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

(D.G.E. & T.)

New Delhi, the 1st October 1982

No. DGET-3(1)/81-EE-I(EE-III).—The existing entries against Serial Nos. 70 and 71 in the Government of India, Ministry of Labour Notification No. DGET-3(1)/81-EE-I dated 4th July, 1981 as amended vide Notification No. DGET-3(1)/81-EE-I dated 28th August 1981 relating to the representatives of Scheduled Caste/Tribe Organisations to be rotated every year among the different organisations) on the Central Committee on Employment, shall be substituted as under :—

Serial No. 70—Shri N. M. Wadiwa, Advocate, Chhindwara (Madhya Pradesh)

Serial No. 71—Sri Mohan Nayak, Manager, Thakkar Bapa Ashram, P.O. Nimakhandi, Dist. Ganjam (Orissa) Pin—761001.

P. R. RAMAKRISHNAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982